(148)

~~अध्यक्ष राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट~~

न्यायालय श्रीमान ~~अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट~~ रीवा म0प्र0

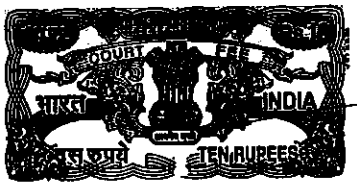

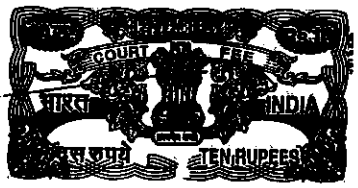

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs. 20/-

R 5013-II/16

अनवारुल हक तनय स्व0 हाजी शेख अब्दुल मन्नान उम्र 85 वर्ष, पेशा कुछ नही, निवासी गुढ़हाई बाजार तरहटी रीवा द्वारा मुख्तार आम मोहम्मद अली तनय श्री अनवारुल हक, उम्र 48 साल, निवासी गुढहाई बाजार तरहटी मन्नान मस्जिद के पास रीवा, तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्ता/अपी0

बनाम

इरफानुल हक तनय श्री अनवारुल हक उम्र 44 वर्ष, निवासी गुढ़हाई बाजार तरहटी मन्नान मस्जिद के पास, तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

गैरनिगरानीकर्ता/
रेस्पा0

श्री सुशील कुमार शुक्ला एड के द्वारा आज दिनांक 12-01-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तह0 हुजूर जिला रीवा के अपील क्र0 129/अ 6/2014-15 मे पारित आदेश दि0 31-10-2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यहकि आ0 नं0 16/1 रकबा 4.80 ए0 स्थित ग्राम धोबखरी 299 के मालिक भूमिस्वामिनी व आधिपत्यधारिणी स्व0 बेवा राबिया पत्नी स्व0 शेख अब्दुल मन्नान राजस्व अभिलेखो मे भूमिस्वामिनी के रूप मे दर्ज थी। तथा शेष आ0 नं0 44 रकबा 2.60 ए0, 52 रकबा 1.81 ए0, 53 रकबा 0.08ए0, 61/2 रकबा 0.64 ए0, 62 रकबा 0.16 ए0, 63 रकबा 0.04 ए0, ~~कुल रकबा~~ स्थित ग्राम धोबखरी

क्रमशः/2

"दोन पर"

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग--अ

प्रकरण क्रमांक 5013--दो/2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-09-17	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 129/अ-6/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ के प्र.क. 78 अ 6 अ-6/ 2000-01 में पारित आदेश दिनांक 7-7-01 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के साथ अपील दिनांक 1-7-15 को प्रस्तुत की गई है, जिसे उन्होंने आदेश दिनांक 31-10-15 से अवधि वाह्य मानकर निरस्त किया है। आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को से स्पष्ट है कि तहसीलदार गोविन्दगढ़ के आदेश दिनांक 7-7-01 के विरूद्ध दिनांक 1-7-15 को अपील प्रस्तुत की गई है जो 14 वर्ष वाद है। यदि आवेदक तहसीलदार गोविन्दगढ़ के आदेश दिनांक 7-7-01से खुद की भूमि के स्वत्वों में दखलन्दाजी होना महसूस करता है स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराने हेतु वह स्वतंत्र है किन्तु 14 वर्ष के अनुचित विलम्ब का लाभ उसे नहीं दिया जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 31-10-2015 में निकाले गये निष्कर्ष उचित है जिनमें फेर-बदल की गुजायश न होने से अपील इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	